दिल्ली, नोएडा, साहिबाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी, मेरठ, हापुड़ से एक साथ प्रसारित

विशेष खबर

हर खबर की रखें खबर

विशेष खबर visheshkhabar

•वर्ष: •4 अंक: 38

पृष्ठ : 8

गाजियाबाद

16 से 30 नवंबर 2020

मूल्य: 10 रूपये

पाक्षिक समाचार पत्र

पेज-8 गाजियाबाद बार के नए अध्यक्ष मुनीश त्यागी का साक्षात्कार

visheshkhabarvk@gmail.com

RNI:UPHIN/2017/74151

अन्दर के पेजों पर

2 संपादकीय: कांग्रेस नहीं बन सकती कांग्रेस का विकल्प

5 कोरोना से जंग में फिर फेल हुए केजरीवाल

6 कालसर्प दोष दूर करने के घरेलू उपाय

7 किसान आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट पर गाजियाबाद पुलिस

विनीतकांत पाराशर
संपादक

जान भी जरूरी, जहान भी जरूरी,मास्क पहनकर रखें दो गज की दूरी

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद को व दूसरों का सुरक्षित रखें

कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं

विशेष खबर की ओर से जनहित में अपील

यूपी में लव जेहाद की दुकान पर लगा कानून का ताला

अरविंद शर्मा @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। देश में हिन्दू महिलाओं के लिए नासूर बन चुके लव जेहाद की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही कई राज्य सरकारें लव जेहाद व धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी में हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ने लव जेहाद को लेकर प्रस्ताव बना लिया है तथा विधानसभा में बिल लाने की तैयारी की जा रही है जबकि हरियाणा की खट्टर सरकार इसकी तैयारी में है।

लेकिन सबके बीच लव जेहाद को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहे यूपी की बीजेपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कैबीनेट ने तो लव जेहाद पर कानून के प्रस्ताव को पास कर दिया है।

राज्यपाल की मुहर लगने के बाद लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए ये फैंसला कानून की शक्ल ले लेगा। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद के नाम पर लड़कियों तथा महिला से धर्म परिवर्तन कराने के बाद अत्याचार करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

इस कानून के बाद दूसरे धर्म में शादी से दो माह पहले नोटिस देना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही डीएम की अनुमति भी जरूरी हो गई है। नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा हो सकती है।

लव-जिहाद और धर्म धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले ही सख्त कदम उठाने के संकेत दे दिए थे। इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट व जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को तीन से दस वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी।

ये कानून उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए बेहद जरूरी था। क्योंकि पिछले कुछ समय में प्रदेश में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी जिनमें जबरदस्ती, छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित करने की घटनाएं प्रकाश में आयी थी। इस पर कानून बनाना एक आवश्यकता बन गई जिसके लिए पहले एक नीति बनी, इस पर कोर्ट के आदेश और प्रस्ताव तैयार होंने के बाद कैबिनेट ने अध्यादेश जारी कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम युवक अगर अपनी पहचान छिपाकर छल से हिन्दू नाम रखकर किसी हिन्दू लडकी से शादी करेगा या उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कुछ इसी तरह का प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर विधानसभा में बिल लाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को 5 साल की सजा के प्रावधान की तैयारी है।

धर्म परिवर्तन व लव जेहाद पर अदालत और संविधान का मत

भारत के संविधान के आर्टिकल-25 के मुताबिक भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यह अधिकार सभी धर्मों के नागरिकों को बराबरी से है। सबसे बड़ी अदालत का मानना है कि धोखाधड़ी से, लालच या दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध है लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। लेकिन किसी खास मकसद से किसी को यह करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लव जेहाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 सितंबर को अर्न्तधर्मीय विवाह के एक मामलें में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उस धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है या उस पर उसका विश्वास भी नहीं है तो सिर्फ शादी के लिए उसके धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही एक अन्य मामलें में ये भी कहा कि अदालत धर्म के आधार पर दो युवाओं की शादी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती।

कानून में कौन से खास प्रावधान हैं?

ऐसी शादी मानी जाएगी शून्य

अगर कोई केवल शादी के लिए लड़की का धर्म परिवर्तन करता है या कराता है, तो ऐसे में वो शादी शून्य की श्रेणी में आएगी। मतलब ये कि वो शादी कानून की नजर में अवैध होगी।

उपबंधों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

कानून के तहत आने वाले उपबंधों का उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। साथ ही कम से कम 15 हजार रुपये का जुमार्ना भी प्रस्तावित है।

नाबालिग और एससी, एसटी महिलाओं के लिए कानून

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला या किसी नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन करना या कराना भी इसी अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। नाबालिग लड़कियों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ किए गए उपरोक्त अपराध के दोषी को कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 कैद की सजा का प्रावधान होगा। साथ ही कम से कम 25 हजार रुपये का जुमार्ना किया जाना प्रस्तावित है।

सामूहिक धर्म परिवर्तन पर अंकुश

इसी प्रकार से सामूहिक धर्म परिवर्तन करने या कराने के मामले में भी यह कानून लागू होगा। जिसके तहत ऐसा करने या कराने वाले सामाजिक संगठनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में 3 साल से कम की सजा नहीं होगी लेकिन इस सजा को अधिकतम 10 वर्ष की कैद तक बढाया जा सकेगा। और ऐसे मामलों में जुमार्ने की रकम 50 हजार रुपये से कम नहीं होगी।

सिर्फ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करेंगे सुनवाई

इस अध्यादेश के तहत मिथ्या, बल, प्रभाव, प्रपीड़न, लालच या किसी धोखे से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मजबूर किए जाने को संज्ञेय अपराध माना जाएगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। ऐसे मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में किए जाने का प्रावधान होगा।

यह होगी धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया

अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों का ख्याल भी रखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को तय प्रारूप के मुताबिक दो माह पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। उन्हें घोषणा करनी होगी कि बिना किसी लालच, डर और बहकावे में आए वे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर 6 माह से 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। साथ ही जुमार्ने की रकम दस हजार से कम नहीं होगी।

एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष उदघोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन बिना किसी लालच, डर, प्रभाव, प्रपीड़न, बिना जोर जबरदस्ती, बिना किसी छल कपट या केवल शादी के लिए नहीं किया गया है.